

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर ।

कमांक:एफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2010-11/1017-1067
-: आदेश :- 04-12-19

दिनांक:


संयुक्त शासन सचिव वित्त(बीमा) विभाग के पत्र कमांक प. 4(79)वित्त/राजस्व/92 पार्ट दिनांक 20.11.2019 द्वारा राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम,1998 के नियम 11(2) संबंधी सभी प्रकरणों में विभाग को नियम 11(4) में एक बारीय शिथिलता प्रदान करते हुये यह स्वीकृति दी है कि नियम 11(2) के अन्तर्गत बढी हुयी प्रीमियम राशि की कटौती कराते समय अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से नियम 8(3) में उल्लेखित रोगों से ग्रसित नही होने संबंधी धोषणा प्रपत्र बीमेदार के द्वारा जिस तिथि को प्रस्तुत किया गया है, वही धोषणा पत्र उक्त तिथि से पूर्व बढी हुई प्रीमियम राशि संबंधी सभी प्रकरणों के लिए भी मान्य होगा और उससे पूर्व के अधिक जोखिम वहन करने के प्रकरणों में पृथक-पृथक धोषणा प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा ।

उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि :-

1. विभाग पे-मैनेजर पोर्टल में शीघ्र यह वेलीडेशन लागू करायेगा कि यदि कोई कार्मिक नियम 11(2) के तहत बढी हुई प्रीमियम राशि की कटौती कराना चाहता है,तो उसे पहले नियम 8(3) के तहत उल्लेखित रोगों से ग्रसित नहीं होने का धोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा,उसके उपरान्त ही पे-मैनेजर पोर्टल में बढी हुई प्रीमियम राशि फीड हो सकेगी ।
2. विभाग दिनांक 01.04.2020 से पूर्व सभी पॉलिसियों को एसआईपीएफ पोर्टल में अपडेट करते हुए अधिक जोखिम संबंधी समस्त कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स एसआईपीएफ पोर्टल में फीड कराया जाना सुनिश्चित करेगा ।
3. दिनांक 01.04.2020 से नियम 11(2) के अन्तर्गत बढी हुई प्रीमियम राशि हेतु नियम 17 के अनुसार 60 दिवस की अवधि में अधिक जोखिम संबंधी कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाना सुनिश्चित करेगा ।

अतः समस्त जिला कार्यालय को निर्देशित किया जाता है वे उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें ।

Order



(आनन्द स्वरूप)

IRS

निदेशक

कमांक:एफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2010-11/ ¹⁰¹⁷⁻¹⁰⁶⁷ दिनांक:
_{04.12.19}

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव,विशिष्ट शासन सचिव वित्त(व्यय), विभाग जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त(बीमा)विभाग जयपुर ।
3. निजी सचिव,निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
- ✓ 4. अतिरिक्त निदेशक,सिस्टम अनुभाग मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश को विभाग पोर्टल पर अपलोड करावें ।
5. अतिरिक्त निदेशक, समस्त संभागीय कार्यालय ।
6. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, समस्त जिला कार्यालय ।

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:एफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2010-11/1017-1067 दिनांक:
04.12.19
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव,विशिष्ट शासन सचिव वित्त(व्यय), विभाग जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त(बीमा)विभाग जयपुर ।
3. निजी सचिव,निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
- ✓ 4. अतिरिक्त निदेशक,सिस्टम अनुभाग मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश को विभाग पोर्टल पर अपलोड करावें ।
5. अतिरिक्त निदेशक, समस्त संभागीय कार्यालय ।
6. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, समस्त जिला कार्यालय ।

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2010-11/1017-1067

दिनांक:

:- आदेश :-

04-12-19

संयुक्त शासन सचिव वित्त(बीमा) विभाग के पत्र क्रमांक प. 4(79)वित्त/राजस्व/92 पार्ट दिनांक 20.11.2019 द्वारा राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 11(2) संबंधी सभी प्रकरणों में विभाग को नियम 11(4) में एक बारीय शिथिलता प्रदान करते हुये यह स्वीकृति दी है कि नियम 11(2) के अन्तर्गत बढी हुयी प्रीमियम राशि की कटौती कराते समय अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से नियम 8(3) में उल्लेखित रोगों से ग्रसित नही होने संबंधी धोषणा प्रपत्र बीमेदार के द्वारा जिस तिथि को प्रस्तुत किया गया है, वही धोषणा पत्र उक्त तिथि से पूर्व बढी हुई प्रीमियम राशि संबंधी सभी प्रकरणों के लिए भी मान्य होगा और उससे पूर्व के अधिक जोखिम वहन करने के प्रकरणों में पृथक-पृथक धोषणा प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि :-

1. विभाग पें-मैनेजर पोर्टल में शीघ्र यह वेलीडेशन लागू करायेगा कि यदि कोई कार्मिक नियम 11(2) के तहत बढी हुई प्रीमियम राशि की कटौती कराना चाहता है, तो उसे पहले नियम 8(3) के तहत उल्लेखित रोगों से ग्रसित नहीं होने का धोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके उपरान्त ही पे-मैनेजर पोर्टल में बढी हुई प्रीमियम राशि फीड हो सकेगी।
2. विभाग दिनांक 01.04.2020 से पूर्व सभी पॉलिसियों को एसआईपीएफ पोर्टल में अपडेट करते हुए अधिक जोखिम संबंधी समस्त कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स एसआईपीएफ पोर्टल में फीड कराया जाना सुनिश्चित करेगा।
3. दिनांक 01.04.2020 से नियम 11(2) के अन्तर्गत बढी हुई प्रीमियम राशि हेतु नियम 17 के अनुसार 60 दिवस की अवधि में अधिक जोखिम संबंधी कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाना सुनिश्चित करेगा।

अतः समस्त जिला कार्यालय को निर्देशित किया जाता है वे उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

Order

— (Signature) —

(आनन्द स्वरूप)

IRS
निदेशक